

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 01.04.2025

गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 सुधांशु सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 172/2025 धारा 2(ख)(I)(IV)(VIII) (XI) /3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्ता रिकू देवी उर्फ नीलू को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्ता द्वारा अपने साथियों के साथ कूटरचित स्टाम्प तैयार कर गलत तरीके से बाजार में बेचा जाता था। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 500/2024 धारा 178,179,180,181 भा0न्या0सं0पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

रिकू देवी उर्फ नीलू पत्नी गणेश कुमार निवासिनी हकाम थाना महादेवा जनपद सिवान (बिहार)

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 172/2025 धारा धारा 2(ख) की उप धारा (I)(IV)(VIII) (XI) /3(1) उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 500/2024 धारा 178,179,180,181 भा0न्या0सं0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. I.S. गैंग पंजीकरण संख्या 140/2025 धोखाधड़ी गैंग

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 सुधांशु सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अरुण कुमार पाण्डेय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 रवि प्रकाश कुँवर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 मंगलदीप यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कां0 संजीत यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6. म0कां0 अर्चना श्रीवास्तव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर